न्यायालय– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला:– डीडवाना–कुचामन।

पीठासीन अधिकारी	–	मनोज जीनगर, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	–	302/2020
सी.आई.एस. संख्या	–	302/2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	76/2020, पुलिस थाना डीडवाना।
सी.एन.आर. संख्या	–	RJDK020005322020

1. राज्य सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी, डीडवाना।

– अभियोजन

ब ना म

1. प्रेमसुख उर्फ प्रेमाराम पुत्र अर्जुनराम, उम्र 31 साल, निवासी सिकराली, पुलिस थाना नागौर।

– अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता।

उपस्थित –

1. राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी – श्री नरेन्द्र सिंह।
2. अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता – श्री प्रकाश डूकिया ।

– :: निर्णय :: –

दिनांक ::– 06.04.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.2020 को प्रार्थी ब्रहमपाल सिंह पुत्र दल्लाराम निवासी दुदोली पुलिस थाना डीडवाना ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि की दिनांक 04.03.2020 को उसके घर दुदोली आया, उस वक्त उसकी पुत्री संतोष दुदोली उसके घर पर ही आयी हुयी थी। उक्त प्रेमसुख उर्फ प्रेमाराम ने उसकी पुत्री को धोखे में रखकर

बेइमानी पूर्वक जयपुर में मकान लेने की बात कहकर उसके घर से बिना जानकारी के 27 तोला के सोने के आभूषण, 04 किलो चांदी के आभूषण तथा एक लाख पचास हजार रूपये लेकर चला गया, उसके उक्त काम उसके साथ व उसकी पुत्री के साथ छल कपट व धोखादडी करने के उदेश्य से किया तथा उसने उसकी पुत्री को 15 दिन में उक्त आभूषण व रूपये देने की बात कहकर रूपये व आभूषण ले गया। जब उससे 15 दिन में रूपये व गहने नही दिये तो उक्त समस्त बात उसकी पुत्री ने उसे बतायी तो प्रेमसुख उर्फ प्रेमाराम से बात की तो वह गुमराह कर रहा है कभी कहता है कि मैनें गहने बेच दिये, कभी कहता है कि गिरवी रख दिये, आप पैसे ले जाओ और गहने छूडा लो। इस तरह प्रेमाराम के छल कपट करके उक्त गहने व रूपये हमसे ऐठ लिये है। अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रेमाराम से हमारे गहने व रूपये बरामद कराके व उसे दण्ड दिलाने की कृपा करावें।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना, डीडवाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारंभ किया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त प्रेमसुख उर्फ प्रेमाराम के विरूद्ध धारा 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र संबंधित न्यायालय को प्राप्त होने पर नियमानुसार नियमित दाण्डिक दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त को आरोप अन्तर्गत धारा 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता में पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप को सुन–समझकर इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. **उक्त आरोप को प्रमाणित कराए जाने के क्रम में अभियोजन ने साक्ष्य में निम्न गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया –**

अभियोजन गवाह संख्या	गवाह का नाम	विवरण
पी.डब्ल्यू. 1	जीवणी	गवाह
पी.डब्ल्यू. 2	रामावतार सोनी	गवाह
पी.डब्ल्यू. 3	ब्रहमपाल सिंह	गवाह
पी.डब्ल्यू. 4	संतोष	गवाह
पी.डब्ल्यू. 5	विजय कुमार	फर्द गिरफतारी गवाह
पी.डब्ल्यू. 6	जगदीश प्रसाद	मुर्तिब कार्यवाही गवाह
पी.डब्ल्यू. 7	इकबाल खान	तप्तीश हालात गवाह

5. **अभियोजन की ओर से आरोप प्रमाणित कराए जाने के क्रम में निम्न दस्तावेजात को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया –**

प्रदर्श संख्या	**प्रदर्श का विवरण**	**गवाह संख्या जिसके द्वारा प्रमाणित किया गया**
प्रदर्श पी 1	गवाह रामवतार के 161 सीआरपीसी के बयान	पी.डब्ल्यू. 7
प्रदर्श पी 2	रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू. 2, पी.डब्ल्यू. 3, पी.डब्ल्यू. 6
प्रदर्श पी 3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू. 3, पी.डब्ल्यू. 6
प्रदर्श पी 3	गिरफतारी प्रपत्र	पी.डब्ल्यू. 3, पी.डब्ल्यू. 5, पी.डब्ल्यू. 6, पी.डब्ल्यू. 7,
प्रदर्श पी 4	मुल्जिम प्रेमसुख को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का नोटिस	पी.डब्ल्यू. 7
प्रदर्श पी 5	मुल्जिम प्रेमसुख को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का नोटिस	पी.डब्ल्यू. 5, पी.डब्ल्यू. 7
प्रदर्श पी 6	बैंक स्टेटमेंट	पी.डब्ल्यू. 7

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व स्वयं को निर्दोष होना बताया। अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा, जिस पर बचाव साक्ष्य समाप्त की गई।

7. बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर मुलजिम के विरुद्ध अपराध प्रमाणित है। अंत में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नही हुयी है एवं ना ही किसी भी गवाह ने परिवादी के कथनो की ताईद की है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने

किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान के कथनों में परस्पर भारी विरोधाभास है। अंत में मुलजिम को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदू बनना पाया जाता है –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.03.2020 को मौजा दुदोली में किसी समय परिवादी /अपने ससुर ब्रहमपाल पुत्र श्री दल्लाराम की पुत्री/अपनी पत्नी संतोष से बेइमानीपूर्वक यह प्रवंचना कर कि अभियुक्त ने परिवादी/अपने ससुर की पुत्री संतोष/अपनी पत्नी को जयपुर में मकान दिलवा देंगे, अपनी पत्नी से 27 तोला सोने के आभूषण, 04 किलो चांदी के आभूषण व एक लाख पचास हजार रूपये नकद प्राप्त कर लिये। तत्पश्चात अभियुक्त ना तो परिवादी या उसकी पुत्री को मकान ही दिलवाया और ना ही परिवादी या उसकी पुत्री के रूपये लौटाये। इस प्रकार अभियुक्त ने परिवादी की पुत्री/अपनी पुत्री को सम्पति परिदत्त करने के लिए बेइमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया तथा छल कारित किया। अभियुक्त में न्यस्त, परिवादी के सोने–चांदी के आभूषण व परिवादी की राशि परिवादी को ना लौटाकर उक्त राशिका बेइमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया तथा उक्त राशि का अपने उपयोग में संपरिवर्तन किया।
2. यदि हाँ, तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी ?

<u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>

9. उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण किया जाए तो अभियोजन की ओर से प्रकरण में कुल 07 गवाहों को परीक्षित करवाया गया।

10. **गवाह पी.डब्ल्यू. 01 जीवणी** ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि संतोष उसकी बेटी है, जिसकी शादी करीब 14 साल पहले अभियुक्त के साथ की थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। संतोष ससुराल गयी तो आप उसको दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करते थे, उन्हें चार टायर वाली गाडी व डेढ लाख रूपये की मांग करते थे।

यह बात उसे उसके पति ने बताई थी। संतोष ने उसे कुछ नहीं बताया। कभी कभी बताया की मारपीट करते है और अभियुक्त ने उसके पति के खाते से 48000/– रूपये निकाल लिये थे। संतोष को अभियुक्त हमेशा परेशान करते थे, मारपीट करते थे। अभियुक्त उसका और उसकी पुत्री संतोष का गहना ले गया था और आपने बैंक में ले जाकर रख दिया और उसके पैसे उठा लिये। आज तक ना ही रूपये दिए ना ही वो गहने दिए। उस गहने में उसका 16 बरी सोना था, 4 किलो चांदी थी। संतोष की 10 बरी सोना व 1 किलो चांदी थी जो अभियुक्त ले गया। संतोष 6–7 साल से उनके पास ही रह रही है। इस दौरान अभियुक्त कभी भी देखभाल करने नहीं आये। उन्होंने समझाया था लेकिन अभियुक्त नहीं समझा । अंत में परेशान होकर संतोष ने यह मुकदमा दर्ज करवाया।

11. **गवाह पी.डब्ल्यू. 03 ब्रह्मपाल सिंह** ने अभियुक्त के विरुद्ध अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि संतोष उसकी पुत्री है जिसकी शादी करीब 14 साल पहले अभियुक्त के साथ की थी। दिंनाक 04.03.2020 को उसकी पुत्री संतोष गांव दुदोली में घर पर अकेली थी। वह खेत गया हुआ था, तभी उसका जवाई प्रेमाराम उर्फ प्रेमसुख घर पर आये और उसने डेढ लाख रूपये व 27 तौला सोने के आभूषण व 4 किलो चांदी के आभूषण बेईमानी से मकान लेने की बात कहकर ले गये और अभियुक्त ने कहा था कि बैंक से लोन लेकर यह वापिस दे जायेंगे। जब वह घर आया तो उसे यह बात उसकी पुत्री संतोष ने बताई। फिर बाद में प्रेमाराम उर्फ प्रेमसुख ने वह रूपये ओर सोने चांदी के गहने उन्हें नहीं लौटाए और उसने कहीं बेच दिये। अभियुक्त उसका बैंक का एटीएम कार्ड भी ले गये थे। उस कार्ड से अभियुक्त ने 48000 उसकी अनुमति के बिना निकाल लिए। अभियुक्त ने उनके साथ धोखाधड़ी की और उसकी पुत्री को भी मारपीट करके घर से निकाल दिया था। जिसका उसने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 है. जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 03 है, जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

12. **गवाह पी.डब्ल्यू. 04 संतोष** ने कथन किया है कि उसकी शादी दिनांक 30.03.2010 को अभियुक्त प्रेमसुख पुत्र अर्जुनराम निवासी सिकराली के साथ हिन्दू रीति रिवाज से उसके पिता के घर गांव दुदोली में हुयी थी। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। जब वह ससुराल गयी तो अभियुक्त उसे कम दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करने लग गये। एक अल्टो गाडी व डेढ लाख रूपये की मांग करते थे। उसने कई बार उक्त मांग के बारे में उसके माता पिता को बताया था, उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे ठीक हो जायेगा

और अभियुक्त का व्यवहार सुधर जायेगा। जब उसे ज्यादा परेशान करने लग गये तब उसने उसके पिताजी से कभी दस हजार, कभी बीस हजार और कभी तीस हजार रूपये ले जाकर प्रेमसुख को दिये थे। फिर अभियुक्त ने उससे उसके आभूषणों की मांग की थी। प्रेमसुख को उसके पीहर में व ससुराल में दोनों जगह ही कई बार समझाया था परन्तु अभियुक्त नहीं माना। समझाने के लिए उसके पिताजी ब्रम्हपाल सिंह, हनुमाना राम, नाथूराम, टोडाराम, तुलछाराम गये थे, फिर भी अभियुक्त नहीं माना। करीब पांच साल पहले अभियुक्त ने उसे मारपीट करके घर से निकाल दिया था तब वह उसके पीहर में आ गयी थी। उसके पांच छः महीने बाद में एक दिन अभियुक्त उसके पीहर दुदोली में आया था और उसे कहा कि उसके आभूषण दे। अभियुक्त उसके व उसकी मां के सोने चांदी के आभूषण ले लिये जिसमें 27 तौला सोना व चार किलो चांदी और डेढ लाख रूपये उसे यह कहकर ले गया था कि उसे रूपये चाहिए उसे वापस दे देंगे और वह उसके पिताजी के खाते का एटीएम भी उसे बहला फुसला कर ले गया था और उसमें से भी उसके पिताजी के खाते से 48,000/– रूपये निकलवा लिये। अभियुक्त ने कुल 3,78,000/– रूपये ले लिये और सोने चांदी के आभूषण ले लिये जो आज तक नहीं लौटाये है। उसे दहेज के लिए उसने तंग परेशान किया था तब उसने अभियुक्त के खिलाफ दहेज का मुकदमा किया था जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सूची सामान प्रदर्श पी02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसे उसका स्त्रीधन थाने में दिया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू. 05 विजय कुमार** ने कथन किया है कि दिनांक 06.07.2020 को वह पुलिस थाना डीडवाना में कानिस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन एफआईआर संख्या 76/2020 के प्रकरण में मुलजिम को अनुसंधान अधिकारी ईकबाल खां हेड कानिस्टेबल ने उसके सामने थाना परिसर में जरिये फर्द प्रदर्श पी 03 गिरफ्तार किया था, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू. 06 जगदीश प्रसाद** ने कथन किया है कि दिनांक 19.05.2020 को वह पुलिस थाना डीडवाना में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन ब्रह्मपाल सिंह ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 उपस्थित थाना होकर उसके समक्ष पेश की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ए से बी परिवादी ब्रह्मपाल के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ कार्यवाही

पुलिस का अंकन है, जिसपर उसने चाक एफआईआर प्रदर्श पी 03 दर्ज की, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

15. **गवाह पी. डब्ल्यू. 07 इकबाल खां** ने कथन किया है कि दिनांक 19.05.2020 को वह पीएस डीडवाना में हैड कानिस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन एफआईआर नम्बर 76/20 के प्रकरण की पत्रावली थानाधिकारी जगदीश प्रसाद जी अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द की थी। उसने गवाहान ब्रह्मपाल सिंह, संतोष, जीवणी देवी, विजय सोनी के उनके कहेनुसार बयान दर्ज किए तथा मुलजिम के विरूद्ध धारा 420, 406 भादस का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसने अभियुक्त को जरिए फर्द प्रदर्श पी 03 गिरफ्तार किया, जिसपर सी से डी उसके, ए से बी विजय कुमार, ई से एफ संदीप, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर है। मुलजिम ने उसे स्वेच्छा से इत्तला दी की वह अपनी पत्नी के सोने चांदी के गहने ग्राम दुदोली से लेकर आया था वो गहने उसने जिस दुकानदार को बेचे वो दुकान में साथ चलकर बता सकता है, इस पर फर्द इत्तला प्रदर्श पी 4 तैयार की, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त के हस्ताक्षर थे। अभियुक्त ने दौराने अनुसंधान उसे यह भी इत्तला दी थी कि अभियुक्त अपनी पत्नी के जो सोने चांदी के गहने दुदोली से लेकर आया था वो उसने जयपुर में जौहरी बाजार में बेचे थे, जो दुकान वह साथ चलकर बता सकता है, इस पर फर्द इत्तला प्रदर्श पी 5 तैयार की, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अभियुक्त के हस्ताक्षर है। एक्सीस बैंक से अभियुक्त के खाते की स्टेटमेंट दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की, जो प्रदर्श पी 6 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने अनुसंधान पुर्ण कर मुलजिम अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406 भादस का अपराध प्रमाणित पाया और बाद अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी नरेन्द्र जाखड को सुपुर्द की, जिन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश किया।

16. उपरोक्त आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन व विश्लेषण करे तो प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादी ब्रहमपाल पीड 03 जिसके जिसके द्वारा पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श 02 पुलिस थाना डीडवाना के समक्ष पेश की गयी थी जिस पर प्रकरण दर्ज होकर वर्तमान स्तर तक पहुंचा है। उक्त गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि दिंनाक 04.03.2020 को उसकी पुत्री संतोष गांव दुदोली में घर पर अकेली थी। वह खेत पर गया हुआ था, तभी उसका जवाई प्रेमाराम उर्फ प्रेमसुख घर पर आये और उसने डेढ लाख रूपये व 27 तौला सोने के आभूषण व 4 किलो चांदी के आभूषण बेईमानी से मकान लेने की बात कहकर ले गये और अभियुक्त ने

कहा था कि बैंक से लोन लेकर यह वापिस दे जायेंगे। इस प्रकार उक्त गवाह ने अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री के सोने व चांदी के आभूषण बेईमानी से प्राप्त करने का कथन किया है परन्तु परिवादी द्वारा अपने कथनो में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी पुत्री से कब उक्त जेवरात अभियुक्त लेकर गया था। घटना के संबंध में कोई विशिष्ट घटना दिनांक व समय का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसी संबंध में परिवादी की पुत्री संतोष पीडब्ल्यू 04 द्वारा भी उक्त घटनाक्रम के संबंध में कोई स्पष्ट समय व दिनांक का उल्लेख नहीं किया है। परिवादी द्वारा आगे यह भी कथन किया है कि प्रेमाराम उर्फ प्रेमसुख ने वह रूपये ओर सोने चांदी के गहने उन्हें नहीं लौटाए और कहीं बेच दिये। अभियुक्त उसका बैंक का एटीएम कार्ड भी ले गये थे। उस कार्ड से अभियुक्त ने 48000 रूपये उसकी अनुमति के बिना निकाल लिए। गवाह के उक्त कथनों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो उक्त गवाह अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य बैंक स्टेटमेंट इत्यादि भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि परिवादी के एटीएम से अभियुक्त प्रेमाराम ने 48000 रूपये निकाल लिए हो साथ ही पत्रावली में अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो बैंक स्टेटमेंन्ट पेश किया है उसमें 48000 रूपये विड्रोल करवाये जाने की प्रविष्टि का कोई भी उल्लेख नहीं है एवं ना ही उक्त राशि एटीएम से निकासी करने के सबंध मे कोई दिनांक अथवा समय का उल्लेख अपने कथनों में किया है। परिवादी ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में यह भी स्पष्ट नही किया है कि उसका कौनसी बैंक में खाता है। परिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा सोने चांदी के जेवरात बेचने का उल्लेख किया है लेकिन अब तक अभियुक्त ने उक्त जेवरात किसे बेचे है, किसी भी गवाह ने अपने बयानों में कथन नहीं किये है। इसी सबंध में प्रकरण में परिवादी की पुत्री पीड 04 द्वारा अपने पिता के कथनो की ताईद करते हुए अभियुक्त द्वारा उसके सोने के आभुषण 27 तोला व चांदी के 04 किलो आभूषण उसे बहला फुसला कर ले जाने के कथन किए है परन्तु उक्त जेवरातो के सबंध में कोई बिल इत्यादि भी पेश नहीं किए है एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि पत्रावली में सुनार की दूकान या फर्म से संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिवादिया के कब्जे में सोने चांदी के आभूषण होना भी संदेहास्पद हो जाता है। साथ ही परिवादिया द्वारा अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उसने सोने चांदी के आभूषणों के वजन सें सबंधित रसीदे पेश नहीं की है और ना ही किस सुनार से उक्त आभूषण बनवाये है, ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है, परिवादिया के उक्त कथनों के सबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिवादिया के कब्जे में सोने चांदी के आभूषण होना भी संदेहास्पद हो जाता है। पत्रावली का अवलोकन करे तो

प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार के जेवरात बरामद होने का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है एवं स्वयं अनुसंधान अधिकारी पीड 07 द्वारा भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त प्रकरण के संबंध में उसने किसी प्रकार की बरामदगी या रिकवरी नहीं की है। प्रकरण में अभियुक्त से बरामदगी के अभाव में अभियोजन की कहानी में संदेंहास्पद हो जाती है। प्रकरण में अब तक परीक्षित गवाहान के कथनो व पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के विवेचन से अभियोजन की कहानी में संदेंह उत्पन्न होता है। लिहाजा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का आद्योपांत अवलोकन करे तो अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 04.03.2020 को मौजा दुदोली में किसी समय परिवादी /अपने ससुर ब्रहमपाल पुत्र श्री दल्लाराम की पुत्री/अपनी पत्नी संतोष से बेइमानीपूर्वक यह प्रवंचना कर कि अभियुक्त ने परिवादी/अपने ससुर की पुत्री संतोष/अपनी पत्नी को जयपुर में मकान दिलवा देंगे, अपनी पत्नी से 27 तोला सोने के आभूषण, 04 किलो चांदी के आभूषण व एक लाख पचास हजार रूपये नकद प्राप्त कर लिये। तत्पश्चात अभियुक्त ना तो परिवादी या उसकी पुत्री को मकान ही दिलवाया और ना ही परिवादी या उसकी पुत्री के रूपये लौटाये। इस प्रकार अभियुक्त ने परिवादी की पुत्री/अपनी पुत्री को सम्पति परिदत्त करने के लिए बेइमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया तथा छल कारित किया। अभियुक्त में न्यस्त, परिवादी के सोने–चांदी के आभूषण व परिवादी की राशि परिवादी को ना लौटाकर उक्त राशिका बेइमानीपूर्वक दुर्विनियोग किया तथा उक्त राशि का अपने उपयोग में संपरिवर्तन किया। अतः अभियुक्त प्रेमसुख उर्फ प्रेमाराम को अपराध अंतर्गत धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आ दे श</u>–

17. अतः अभियुक्त प्रेमसुख उर्फ प्रेमाराम पुत्र अर्जुनराम, उम्र 31 साल, निवासी सिकराली, पुलिस थाना नागौर। को अपराध अन्तर्गत धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18. अभियुक्त के अन्वीक्षाकालीन प्रस्तुत जमानत मुचलके नियमानुसार निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000/– रुपये का बंधपत्र व इसी कदर राशि की एक जमानत 6 माह की अवधि के लिए अपील होने की स्थिति में उपस्थिति के

संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करवायेगा।

(मनोज जीनगर)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीडवाना।

19. दिनांक 06 अप्रेल, 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(मनोज जीनगर)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डीडवाना।